पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेलः reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांकः– 26174 दिनांकः 14-02-2023.

प्रबन्ध बोर्ड की विशेष बैठक दिनांक 11.02.2023 का कार्यवाही विवरण

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के प्रबन्ध बोर्ड की विशेष बैठक दिनांक 11.02.2023 को दोपहर 03:00 बजे विश्वविद्यालय परिसर के कुलपति सचिवालय सभागार में आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:–

क्र.सं	नाम	पद नाम	पदेन
1.	डॉ. भगीरथ सिंह	माननीय कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री महेश कुमार शर्मा	कोषाधिकारी, सीकर एवं प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, जयपुर	सदस्य
3.	डॉ. हेमबारी	प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, जयपुर	सदस्य
4.	डॉ. कौशल किशोर	माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा नामनिर्देशित	सदस्य
5.	डॉ. संगीता कुमारी	माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा नामनिर्देशित	सदस्य
6.	डॉ. डी. एस. थालौड़	माननीय कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, विधि संकाय	सदस्य
7.	डॉ. पुष्पा चौधरी	माननीय कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय	सदस्य
8.	श्री राजवीर सिंह चौधरी	कुलसचिव	सदस्य सचिव

प्रबंध बोर्ड बैठक में सदस्य डॉ. हेमबारी, प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा ऑनलाईन गुगल मीट (Google Meet) प्लेटफॉर्म से बैठक में सम्मिलित हुये।

प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य श्री राजेन्द्र पारीक, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र सीकर, श्री जे. पी. चंदेलिया, माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र पिलानी, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित डॉ. जगदीश प्रसाद व डॉ. के. डी. स्वामी एवं आयुक्त कॉलेज शिक्षा बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक की विधिवत कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने मनोनीत नये सदस्यों का परिचय करवाया एवं सभी आगुन्तक सदस्यों का स्वागत किया। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया और प्रबंध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत मदों (Agendas) पर निम्नानुसार निर्णय किये गये :–

Item Agenda (मद) 1 :– विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु राज्य सरकार के मॉडल रोस्टर के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की रोस्टर समिति द्वारा तैयार पदों का रोस्टर, विज्ञापन एवं भर्ती नियमों पर विचार एवं निर्णय। (कार्य सूची की परिशिष्ट – I)

निर्णयः

1. विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों के लिए दिनांक 14.03.2022 एवं 27.06.2022 को रोस्टर समिति द्वारा राज्य सरकार के मॉडल रोस्टर के अनुसार रोस्टर पंजिका की अनुशंषा को विद्या परिषद् की बैठक

दिनांक 30.09.2022 द्वारा स्वीकृत एवं प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 15.10.2022 द्वारा अनुमोदन किया गया।

दिनांक 08.02.2023 को रोस्टर समिति ने महिला आरक्षण में संशोधन के साथ अनुशंषा प्रस्तुत की जिसका प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 11.02.2023 को परिशिष्ट 1, 1 A, 1 B, 1 C में संलग्नानुसार राज्य सरकार के मॉडल रोस्टर के अनुसार स्वीकृत एवं अनुमोदन किया गया।

(परिशिष्ट 1– दिनांक 30.09.2022 को विद्या परिषद् एवं दिनांक 15.10.2022 के प्रबंध बोर्ड का कार्यवृत

परिशिष्ट 1 A रोस्टर समिति की बैठक दिनांक 14.03.2022 का कार्यवाही विवरण

परिशिष्ट 1 B रोस्टर समिति की बैठक दिनांक 27.06.2022 का कार्यवाही विवरण

परिशिष्ट 1 C रोस्टर समिति की बैठक दिनांक 08.02.2023 का कार्यवाही विवरण)

2. अशैक्षणिक पदों के लिए 27.04.2022 को रोस्टर पंजिका हेतु अधिकारियों एवं अन्य पदों को प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 15.10.2022 द्वारा अनुमोदन किया गया , दिनांक 18.01.2023 एवं दिनांक 08.02.2023 को रोस्टर समिति द्वारा क्रमशः कनिष्ठ लिपिक एवं अन्य पदों के रोस्टर व नियमावली की अनुशंषा एवं संशोधित कार्यवाही विवरण का प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 11.02.2023 को परिशिष्ट 2, 2 A, 2 B, 2 C में संलग्नानुसार राज्य सरकार के मॉडल रोस्टर के अनुसार स्वीकृत एवं अनुमोदन किया गया।

(परिशिष्ट 2– दिनांक 30.09.2022 को विद्या परिषद् एवं दिनांक 15.10.2022 के प्रबंध बोर्ड का कार्यवृत

परिशिष्ट 2 A रोस्टर समिति की बैठक दिनांक 27.04.2022 का कार्यवाही विवरण

परिशिष्ट 2 B रोस्टर समिति की बैठक दिनांक 18.01.2023 का कार्यवाही विवरण

परिशिष्ट 2 C रोस्टर समिति की बैठक दिनांक 08.02.2023 का कार्यवाही विवरण)

अंत में, माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की।

कुलसचिव

परिशिष्ट-1

भीम

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट : www.shekhauni.ac.in ई–मेल : reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं. : 01572-232411

क्रमांक : 14531 दिनांक : 01-11-2022

प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 15.10.2022 का कार्यवाही विवरण

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 15.10.2022 को प्रातः 11:30 बजे विश्वविद्यालय परिसर के कुलपति सचिवालय सभागार में आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहेः–

क्र.सं	नाम	पद नाम	पदेन
1.	डॉ. भगीरथ सिंह	माननीय कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री जे. पी. चंदेलिया	माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र पिलानी	सदस्य
3.	श्री महेश कुमार शर्मा	कोषाधिकारी, सीकर एवं प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, जयपुर	सदस्य
4.	डॉ. के. डी. स्वामी	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित	सदस्य
5.	डॉ. फिरोज अख्तर	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा एवं प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, जयपुर	सदस्य
6.	डॉ. शम्भू उपाध्याय	माननीय राज्यपाल प्रतिनिधि	सदस्य
7.	डॉ. डी. एस. थालौड़	माननीय कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, विधि संकाय	सदस्य
8.	डॉ. पुष्पा चौधरी	माननीय कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय	सदस्य
9.	डॉ. ऋचा कुलश्रेष्ठ	प्राचार्य, निजी महाविद्यालय राज्य सरकार प्रतिनिधि	सदस्य
10.	श्री राजवीर सिंह चौधरी	कुलसचिव	सदस्य सचिव
11.	श्री अर्जुन लाल गुर्जर	वित्त नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
12.	डॉ. रवीन्द्र कुमार कटेवा	उपकुलसचिव	विशेष आमंत्रित सदस्य

समिति के सदस्य डॉ. फिरोज अख्तर, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा एवं प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, डॉ. शम्भू उपाध्याय, माननीय राज्यपाल प्रतिनिधि, डॉ. के. डी. स्वामी, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित सदस्य, ऑनलाईन गुगल मीट (Google Meet) प्लेटफॉर्म से बैठक में सम्मिलित हुये।

प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य श्री राजेन्द्र पारीक, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र सीकर, आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं माननीय कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित डॉ. राहुल सिंह बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक की विधिवत कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने सभी आगुन्तक सदस्यों हार्दिक स्वागत किया। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया और प्रबंध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत मदों (Agendas) पर निम्नानुसार निर्णय किये गये :–

Item Agenda (मद) 1 :– प्रबंध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 28.05.2022 के कार्यवृत की पुष्टि का प्रस्ताव। (कार्य सूची की परिशिष्ट – I)

निर्णयः बैठक दिनांक 28.05.2022 के कार्यवृत की पुष्टि इस प्रेक्षण के साथ की गई कि प्रो. के. डी. स्वामी द्वारा संविधान पार्क के निर्माण राशि पर अपनी विम्मति दर्ज कराई। प्रबंध बोर्ड ने राजभवन के निर्देशों की पालना में संविधान पार्क के निर्माण को पूर्ण करने की सहमति प्रदान की गई।

Item Agenda (मद) 2 :– प्रबंध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 28.05.2022 के अनुपालना प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय। (कार्य सूची की परिशिष्ट – II)

निर्णयः कार्य सूची की परिशिष्ट II में संलग्न अनुपालना प्रतिवेदन (ATR) का अनुमोदन इस प्रेक्षण के साथ किया गया कि एजेण्डा निर्णय संख्या 8 में सेठ जी. बी. पोदार महाविद्यालय, नवलगढ़, झुन्झुनू के कूटरचित दस्तावेजों की जांच करने हेतु गठित समिति के सदस्य को प्रबंध बोर्ड का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण समिति का पुनर्गठन किया गयाः

1. डॉ. पुष्पा चौधरी, प्रबंध बोर्ड सदस्य
2. डॉ. अशोक कुमार गोदारा, संकायाध्यक्ष शिक्षा

उक्त समिति संबंधित दस्तावेजों की जांच कर जांच प्रतिवेदन आगामी प्रबंध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 3 :– विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 30.09.2022 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय। (कार्य सूची की परिशिष्ट – III)

निर्णयः विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 30.09.2022 के कार्यवृत (कार्य सूची की संलग्न परिशिष्ट III) का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 4 :– स्वयंपाठी विद्यार्थियों से निजी महाविद्यालयों द्वारा प्रायोगिक परीक्षा/सैद्धांतिक परीक्षा/परीक्षा फार्म भरते समय लिये जाने वाले शुल्क के निर्धारण पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः स्वयंपाठी विद्यार्थियों से निजी महाविद्यालयों द्वारा प्रायोगिक परीक्षा/सैद्धांतिक परीक्षा में महाविद्यालय में परीक्षा फार्म जमा करवाने के प्रति छात्र शुल्क अधिकतम रू. 200 (अंकेही दो सौ) से ज्यादा न हो, लिये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 5 :– प्रतिवेदन है कि सम्बद्धता हेतु आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात एम.डी.एस. कॉलेज, खोरी ब्राह्मणान, रघुनाथगढ़, सीकर, शोभासरिया कॉलेज, गोकुलपुरा, सीकर, प्रिंस कॉलेज, सीकर द्वारा सम्बद्धता आवेदन पत्रावली शास्ति के साथ जमा करवाई गई है।

निर्णयः प्रतिवेदित मद का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 6 :– विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय तकनीकी कारणों से दो या दो बार से अधिक परीक्षा शुल्क कट जाने पर संबंधित विद्यार्थी को परीक्षा शुल्क वापस (Refund) करने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विद्यार्थी द्वारा दो या दो से अधिक बार ऑनलाईन भुगतान की पुष्टि हो जाने पर संबंधित विद्यार्थी को संबंधित वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने पर परीक्षा शुल्क वापस (Refund) करने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 7 :– शिक्षा संकाय में शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम (B.P.Ed., M.P.Ed.) के सम्बद्धता शुल्क के निर्धारण पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः शिक्षा संकाय में शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम (B.P.Ed., M.P.Ed.) के सम्बद्धता शुल्क राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में संचालित शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम की भांति सम्बद्धता शुल्क रखे जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 8 :– विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में अवस्थित पूर्व अनुदानित महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता शुल्क नहीं जमा करवाये जाने पर शुल्क/दण्ड पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में अवस्थित पूर्व अनुदानित महाविद्यालयों जिनको राजस्थान विश्वविद्यालय में स्थायी पदों पर नियुक्ति होने से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त थी परन्तु ऐसे सभी महाविद्यालय वर्तमान में स्थायी सम्बद्धता की पात्रता नहीं रखते हैं। इन सभी निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक के स्थायी पद भी स्वीकृत नहीं हैं। अतः स्थायी पद पर नियुक्त होने तक इन महाविद्यालयों को अस्थायी सम्बद्धता ही प्रदान की जा सकती है।

ऐसे महाविद्यालयों से संबंधित प्रकरण को राज्य सरकार से अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने व क्या शुल्क लेना है? इस हेतु मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

Item Agenda (मद) 9 :– आगामी वर्ष 2023–24 हेतु मांगे जाने वाले सम्बद्धता आवेदन पत्र एवं सम्बद्धता शुल्क पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 30.12.2021 के पूर्व निर्णयानुसार ही सम्बद्धता शुल्क निर्धारित किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 10 :– राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर, राजकीय विज्ञान महाविद्यालय, सीकर एवं राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय की स्थायी संबद्धता के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः इस संबंध में राज्य सरकार को पुनः स्मरण पत्र भेजे जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 11 :– राजस्थान पी.जी. महाविद्यालय, बिसाऊ, झुंझुनू के द्वारा सत्र 2022–23 की सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु निर्धारित शुल्क से रू. 90734/– कम का डी.डी. जमा करवाया गया, शेष सम्बद्धता शुल्क के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु निर्धारित शुल्क से जितनी राशि कम जमा करायी गई है, उस कम जमा राशि की दुगुनी राशि लिये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 12 :– जिन महाविद्यालयों की भूमि का भूरूपान्तरण प्रक्रिया पूर्ण कर स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिया है तथा स्वीकृति अपेक्षित है, उन महाविद्यालयों की सम्बद्धता पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः संबंधित महाविद्यालय से भूमि का भूरूपान्तरण से संबंधित अण्डरटेकिंग लेकर सम्बद्धता जारी किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 13 :– प्रमुख सचिव, राज्यपाल राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.1 (4) (22) आरबी/2018 पार्ट/13682 दिनांक 11.03.2022 के अनुसार SUMS का क्रियान्वयन करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।
(कार्य सूची की परिशिष्ट – IV)

निर्णयः प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर के अनुसार "SUMS के क्रियान्वयन का यह प्रकरण उच्च स्तर पर विचाराधीन है।" अतएव यह निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक तक मद को स्थगित किया जाये।

Item Agenda (मद) 14 :– विश्वविद्यालय में M.P.Ed., M.Lib., प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, हिन्दी, राजनीति विज्ञान, इतिहास एवं समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम शुरू किये जाने हेतु राज्य सरकार से अनुमति लिये जाने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः उपरोक्त सभी पाठ्यक्रम शुरू किये जाने हेतु राज्य सरकार से अनुमति लेने हेत पत्र लिखे जाने का निर्णय किया गया। ये सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की निजी आय से संचालित करने का निर्णय किया गया।

टेबल एजेण्डा

Table Agenda (मद) 1 :– प्रतिवेदित किया जाता है कि कर निर्धारण वर्ष 2018–19 व कर निर्धारण वर्ष 2019–20 हेतु आयकर मांग में 20 प्रतिशत आयकर की राशि क्रमशः रू. 48411131/– व 9273731/– अग्रिम जमा करवाई गई।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – V)

निर्णयः कार्यसूची की परिशिष्ट–V के प्रस्तावों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया।

Table Agenda (मद) 2 वित्त वर्ष 2020–21 की अधिशेष निधियों की उपयोग हेतु आयकर विभाग को प्रस्तुत 5 वर्ष योजना का अनुमोदन एवं वित्त वर्ष 2021–22 के अधिशेष निधियों के उपयोग हेतु 5 वर्ष के लिये प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रस्तावों के अनुमोदन के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VI)

निर्णयः कार्यसूची की परिशिष्ट–VI का अनुमोदन किया गया।

Table Agenda (मद) 3 :– प्रतिवेदित किया जाता है कि प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 22.09.2021 के पश्चात विश्वविद्यालय की अधिशेष निधियों का सावधि जमा में विनियोजन किया गया।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VII)

निर्णयः कार्यसूची की परिशिष्ट–VII का अनुमोदन किया गया।

Table Agenda (मद) 4 :– विश्वविद्यालय के वर्ष 2021–22 के वार्षिक लेखे तैयार करने हेतु, लेखों की सनदी लेखाकार द्वारा वैधानिक अंकेक्षण, आयकर की धारा 12 A की ऑडिट व आयकर विवरणी दाखिल करने हेतु सनदी लेखाकारों की गई नियुक्तियों के अनुमोदन के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VIII)

निर्णयः कार्यसूची की परिशिष्ट–VIII का अनुमोदन किया गया।

Table Agenda (मद) 5 :– विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने हेतु तृतीय पाटी निरीक्षण करवाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने हेतु मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर (M.N.I.T.) से तृतीय पार्टी निरीक्षण करवाने का निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 6 :– विश्वविद्यालय की आवश्यक सेवाओं (Utility) बिजली, पानी एवं संचार की नियमित देखभाल एवं रखरखाव हेतु जॉब वर्क के वार्षिक आधार पर सेवाएं लेने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय की आवश्यक सेवाओं (Utility) बिजली, पानी एवं संचार की नियमित देखभाल एवं रखरखाव हेतु जॉब वर्क के वार्षिक आधार पर सेवाए टेण्डर के माध्यम से लिये जाने का निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 7 :– स्पोर्ट्स बोर्ड की बैठक दिनांक 08.08.2022 के कार्यवृत का अनुमोदन। (कार्य सूची की परिशिष्ट – IX))

निर्णयः कार्यसूची की परिशिष्ट–IX का अनुमोदन इस प्रेक्षण के साथ किया गया किः

(i) अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को रू. 10000/– प्रति वर्ष के स्थान पर रू. 10000/– प्रति माह की छात्रवृति दिये जाने का निर्णय किया गया।

(ii) डॉ. ऋचा कुलश्रेष्ठ को स्पोर्ट्स बोर्ड की सदस्य नियुक्त किया गया।

Table Agenda (मद) 8 :–सत्र 2019–20 की परीक्षा में तीन महाविद्यालयों में परीक्षा प्रश्न–पत्र, परीक्षा प्रश्न–पत्र से भिन्न खोलने पर विश्वविद्यालय की ओर से एक उच्चतर समिति का गठन किया गया। समिति का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया, अतः समिति की जांच सीटिंग एवं प्रतिवेदन के टंकण, लेखन का मानदेय तय करना।

निर्णयः जांच समिति के सदस्यों को प्रति बैठक प्रबंध बोर्ड के सदस्यों के समकक्ष रू. 3000/– सीटिंग चार्जेज एवं रू. 5000/– प्रतिवेदन के के टंकण, लेखन का मानदेय दिये जाने का निर्णय किया गया।

<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु</u>

अंत में, माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की।

कुलसचिव

परिशिष्ट -1A

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाइट : www.shekhauni.ac.in ई-मेल : reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं. : 01572-232411

क्रमांक : संस्थापन / रोस्टर निर्धारण / 2021-22 / दिनांक :

रोस्टर समिति की बैठक दिनांक 14.03.2022 का कार्यवाही विवरण

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के आदेश क्रमांक प.14() / संस्थापन / सीधी भर्ती / 2019-20 / 24089 दिनांक 21.02.2022 के द्वारा गठित रोस्टर समिति की बैठक कार्यालय आदेश दिनांक 07.03.2022 की अनुपालना में, दिनांक 14.03.2022 को दोपहर 2:00 बजे राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के गेस्ट हाउस में आयोजित की गई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे।

क्र.सं.	नाम	पद नाम	धारित पद
01	प्रो0 घनश्याम सिंह राठौड़	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	संयोजक
02	प्रो0 शिवप्रसाद	महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	सदस्य
03	प्रो0 अशोक नगावत (सेवानिवृत)	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	सदस्य
04	प्रो0 रामनिवास जाट (सेवानिवृत)	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	सदस्य
05	श्री मेघराज सिंह मीना (RAS)	कुलसचिव, PDUSU, Sikar	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम श्री मेघराज सिंह मीणा (RAS) कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा संयोजक एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में शैक्षणिक पदों (आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य तथा समकक्ष) के लिए राज्य सरकार के निर्देश प.18(2)शिक्षा-4 / 2014 पार्ट दिनांक 09.07.2021 एवं सचिव राज्यपाल राजभवन जयपुर के पत्रांक एफ1(39)आर.बी. / 1996 पार्ट / 3028 दिनांक 16.07.2021 के अनुसार तथा विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सुचनाओं तथा सरकारी आदेशो के आधार पर रोस्टर तैयार किया गया (संलग्न – आचार्य दो पृष्ठ, सह-आचार्य तीन पृष्ठ एवं सहायक आचार्य चार पृष्ठ, कुल पृष्ठ नौ)। अशैक्षणिक पदों के रोस्टर के निर्धारण के लिए यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इन पदों के लिए राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के सेवानिवृत अधिकारी को सम्मिलित करते हुए समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार रोस्टर तैयार करावें।

14/3/22
(प्रो0 घनश्याम सिंह राठौड़)
संयोजक

14/3/22
(प्रो0 शिवप्रसाद)
सदस्य

14/3/22
(प्रो0 अशोक नगावत)
सदस्य

14/03/2022
(प्रो0 रामनिवास जाट)
सदस्य

(श्री मेघराज सिंह मीना)
सदस्य सचिव

Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar.

Roster Register for operation of vertical & horizontal reservation for the post of Professor & its equivalent cadre w.e.f 07.03.2019 as per the State Government letter प.18(2)शिक्षा–4 / 2014 पार्ट दिनांक 09.07.2021 and directions received from Secretary to Governor, Rajbhawan Jaipur vide letter No. एफ1(39)आरबी / 1996 पार्ट / 3028 दिनांक 16.07.2021

Total Sanctioned strength in the cadre of Professor & its equivalent = 05

(1) Pending Reservation on old rosters/Backlog from old rosters carried forwarded	(2) Recruitment Year	Point no.	(3) Roster Point with earmarked category, Ist Cycle of 100 point model roster of sanctioned strength 190	(4) Subject/Department for which roster points earmarked (chronological order, i.e. in the sequence of occuring of vacancy)	(5) Name of appointee with subject, date of appointment, date of birth	(6) Roster Point utilized by category	(7) Reservation carried forward	vacancy fall on	(8) Remarks
		1	UR - 1	English (20.11.2017) Dept. Changed Commerce (01.12.2017)	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—
		2	UR - 2	Geopraphy (20.11.2017) Dept. Changed Development Studies (01.12.2017) Dept. Changed Geography (03.02.2022)	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—

14/3/22   14/03/22   14/3/2022

2

Backlog does not exist	Not applicable	3	UR - 3	History (20.11.2017) Dept. Changed Indian Language (01.12.2017) Dept. Changed **English (03.02.2022)**	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—
		4	UR - 4 (W-1)	Mathematics (20.11.2017) Dept. Changed Life Science (01.12.2017) Dept. Changed **Mathematics (03.02.2022)**	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—
		5	OBC - 1	Political Science (20.11.2017) Dept. Changed **Legal Studies (01.12.2017)**	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—

Note : One post will be resevered for PWD benchmark disabilities under clause (a) blindness and low vision as per Government of Rajasthan Rules in the 1st Block.

14/3/22 — Prof. G.S. Rathore, Convenor
14/3 — Prof. Shiv Prasad, Member
Prof. A. K. Nagawat, Member
14/03/2022 — Prof. Ram Niwas Jat, Member
14/03/22 — Sh. Meghraj Singh Meena (RAS), Member Secretary

Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar.

Roster Register for operation of vertical & horizontal reservation for the post of **Associate Professor** & its equivalent cadre w.e.f 07.03.2019 as per the State Government letter प.18(2)शिक्षा–4/2014 पार्ट दिनांक 09.07.2021 and directions received from Secretary to Governor, Rajbhawan Jaipur vide letter No. एफ1(39)आर.बी./1996 पार्ट/3028 दिनांक 16.07.2021

Total Sanctioned strength in the cadre of Associate Professor & its equivalent = 10

(1) Pending Reservation on old rosters/Backlog from old rosters carried forwarded	(2) Recruitment Year	Point no.	(3) Roster Point with earmarked category, Ist Cycle of 100 point model roster of sanctioned strength 190	(4) Subject/Department for which roster points earmarked (chronological order, i.e. in the sequence of occuring of vacancy)	(5) Name of appointee with subject, date of appointment, date of birth	(6) Roster Point utilized by category	(7) Reservation carried forward	vacancy fall on	(8) Remarks
		1	UR - 1	English (20.11.2017) Dept. Changed Commerce (01.12.2017)	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—
		2	UR - 2	English (20.11.2017) Dept. Changed Commerce (01.12.2017)	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—
		3	UR - 3	Geopraphy (20.11.2017) Dept. Changed Development Studies (01.12.2017) Dept. Changed Geography (03.02.2022)	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—
		4	UR - 4 (W-1)	Geopraphy (20.11.2017) Dept. Changed Development Studies (01.12.2017) Dept. Changed Geography (03.02.2022)	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—

2

Backlog does not exist

Not applicable

5	OBC - 1	History (20.11.2017) Dept. Changed Indian Language (01.12.2017) Dept. Changed English (03.02.2022)	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—
6	UR - 5	History (20.11.2017) Dept. Changed Indian Language (01.12.2017) Dept. Changed English (03.02.2022)	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—
7	SC - 1 (W-2)	Mathematics (20.11.2017) Dept. Changed Life Science (01.12.2017) Dept. Changed Mathematics (03.02.2022)	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—
8	UR - 6	Mathematics (20.11.2017) Dept. Changed Life Science (01.12.2017) Dept. Changed Mathematics (03.02.2022)	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—
9	ST - 1	Political Science (20.11.2017) Dept. Changed Legal Studies (01.12.2017)	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—

		10	OBC - 2 (W-3)	Political Science (20.11.2017) Dept. Changed Legal Studies (01.12.2017)	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—

Note : One post will be resevered for PWD benchmark disabilities under clause (a) blindness and low vision as per Government of Rajasthan Rules in the 1st Block.

14/3/22
Prof. G.S. Rathore
Convenor

14/3/22
Prof. Shiv Prasad
Member

14/3/22
Prof. A. K. Nagawat
Member

14/03/2022
Prof. Ram Niwas Jat
Member

14/03/22
Sh. Meghraj Singh Meena (RAS)
Member Secretary

Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar.

Roster Register for operation of vertical & horizontal reservation for the post of Assistant Professor & its equivalent cadre w.e.f 07.03.2019 as per the State Government letter प.18(2)शिक्षा–4/2014 पार्ट दिनांक 09.07.2021 and directions received from Secretary to Governor, Rajbhawan Jaipur vide letter No. एफ1(39)आरबी/1996 पार्ट/3028 दिनांक 16.07.2021

Total Sanctioned strength in the cadre of Assistant Professor & its equivalent = 15

(1) Pending Reservation on old rosters/Backlog from old rosters carried forwarded	(2) Recruitment Year	Point no.	(3) Roster Point with earmarked category, Ist Cycle of 100 point model roster of sanctioned strength 190	(4) Subject/Department for which roster points earmarked (chronological order, i.e. in the sequence of occuring of vacancy)	(5) Name of appointee with subject, date of appointment, date of birth	(6) Roster Point utilized by category	(7) Reservation carried forward	vacancy fall on	(8) Remarks
		1	UR - 1	English (20.11.2017) Dept. Changed Commerce (01.12.2017)	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—
		2	UR - 2	English (20.11.2017) Dept. Changed Commerce (01.12.2017)	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—
		3	UR - 3	English (20.11.2017) Dept. Changed Commerce (01.12.2017)	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—

14/3/22 14/03/2022 14/03/2022

4	UR - 4 (W-1)	Geography (20.11.2017) Dept. Changed Development Studies (01.12.2017) Dept. Changed **Geography (03.02.2022)**	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—
5	OBC - 1	Geography (20.11.2017) Dept. Changed Development Studies (01.12.2017) Dept. Changed **Geography (03.02.2022)**	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—
6	UR - 5	Geography (20.11.2017) Dept. Changed Development Studies (01.12.2017) Dept. Changed **Geography (03.02.2022)**	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—
7	SC - 1 (W-2)	History (20.11.2017) Dept. Changed Indian Language (01.12.2017) Dept. Changed **English (03.02.2022)**	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—
8	UR - 6	History (20.11.2017) Dept. Changed Indian Language (01.12.2017) Dept. Changed **English (03.02.2022)**	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—
9	ST - 1	History (20.11.2017) Dept. Changed Indian Language (01.12.2017) Dept. Changed **English (03.02.2022)**	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—

Backlog does not exist

Not applicable

14/3/22 14/3/22 14/03/2022 14/3/22

Continue Page-3

10	OBC - 2 (W-3)	Mathematics (20.11.2017) Dept. Changed Life Science (01.12.2017) Dept. Changed Mathematics (03.02.2022)	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—
11	EWS - 1	Mathematics (20.11.2017) Dept. Changed Life Science (01.12.2017) Dept. Changed Mathematics (03.02.2022)	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—
12	UR - 7	Mathematics (20.11.2017) Dept. Changed Life Science (01.12.2017) Dept. Changed Mathematics (03.02.2022)	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—
13	SC - 2	Political Science (20.11.2017) Dept. Changed Legal Studies (01.12.2017)	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—
14	UR - 8 (W-4)	Political Science (20.11.2017) Dept. Changed Legal Studies (01.12.2017)	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	—

Continue Page - 4

6.

		15	OBC - 3	Political Science (20.11.2017) Dept. Changed Legal Studies (01.12.2017)	Vacant	Unutilized	N/A	20.11.2017	——

Note : One post will be resevered for PWD benchmark disabilities under clause (a) blindness and low vision as per Government of Rajasthan Rules in the 1st Block.

14/3/22 14/3/22 14/03/2022 14/03/22

Prof. G.S. Rathore
Convenor

Prof. Shiv Prasad
Member

Prof. A. K. Nagawat
Member

Prof. Ram Niwas Jat
Member

Sh. Meghraj Singh Meena (RAS)
Member Secretary

परिशिष्ट – 1B

~~परिशिष्ट – IV~~
~~Annexure – 4~~

कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.14()/संस्थापन/सीधी भर्ती/2019–20/11743–50 दिनांक 17.06.2022 के द्वारा गठित रोस्टर निर्धारण समिति की दिनांक 27.06.2022 को 11:30 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के प्रशासनिक भवन में बैठक हुई जिसमें निम्न सदस्यगण उपस्थित रहें :–

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	पता	धारित पद
01	प्रो0 अशोक नागावत से. नि. प्रोफेसर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	संयोजक
02	प्रो0 शिवप्रसाद , प्रोफेसर	महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	सदस्य
03	डॉ0 जे. एस. खीचड़ से.नि. उप कुलसचिव	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय , बीकानेर	सदस्य
04	श्री रतन कुमार	कुलसचिव , PDUSU, Sikar	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम श्री रतन कुमार, कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा संयोजक सहित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। उच्च शिक्षा (ग्रुप–04) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.14(5)शिक्षा–4/2012 पार्ट जयपुर दिनांक 24.03.2022 के द्वारा विभिन्न पदों हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक पं.7(2)कार्मिक/क–2/19 दिनांक 24.02.2020 एवं क्रमांक पं. 18(2) शिक्षा–4/2014 पार्ट जयपुर, दिनांक 09.07.2021 में अंकित प्रावधानानुसार सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक पदों (जो कि सहायक आचार्य पद के समकक्ष हैं) हेतु रोस्टर पंजिका निर्धारण के लिए संलग्न विवरणी अनुसार श्रेणीवार अनुशंसा की जाती है :–

क्र.सं.	पदनाम एवं संख्या	रोस्टर पॉइन्ट	श्रेणी
01	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष – 01	16	UR-9
02	सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक – 01	17	ST-2

शेष दो पद प्रतिनियुक्ति के होने के कारण सीधी भर्ती नही होनी है।
संलग्न :- विवरणी।

27/6/22	27/6	27.6.22	27/6/22
(प्रो0 अशोक नगावत) संयोजक	(प्रो0 शिवप्रसाद) सदस्य	(डॉ0 जे. एस. खीचड़) सदस्य	(श्री रतन कुमार) सदस्य सचिव

Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar.

Roster Register for operation of vertical & horizontal reservation for the post of Assistant Professor & its equivalent cadre w.e.f 07.03.2019 as per the State Government letter No. प.18(2)शिक्षा–4/2014 पार्ट दिनांक 09.07.2021 and directions received from Secretary to Governor, Rajbhawan Jaipur vide letter No. एफ1(39)आर.बी./1996 पार्ट/3028 दिनांक 16.07.2021

(1) Pending Reservation on old rosters/Backlog from old rosters carried forwarded	(2) Recruitment Year	Point no.	(3) Roster Point with earmarked category, Ist Cycle of 100 point model roster of sanctioned strength 190	(4) Subject/Department for which roster points earmarked (chronological order, i.e. in the sequence of occuring of vacancy)	(5) Name of appointee with subject, date of appointment, date of birth	(6) Roster Point utilized by category	(7) Reservation carried forward	vacancy fall on	(8) Remarks
Backlog does not exist	Not applicable	16	UR - 9	Assistant Librarian (Sanctioned on 24.03.2021)	Vacant	Unutilized	N/A	24.03.2021	—
		17	ST - 2	Assistant Director, Phy. Education (Sanctioned on 24.03.2021)	Vacant	Unutilized	N/A	24.03.2021	—

Note : 1. One post will be resevered for PWD benchmark disabilities under clause (a) Blindness and Low Vision as per Government of Rajasthan Rules in the 1st Block.

27/6

2. सहायक आचार्य एवं समकक्ष पदों हेतु रोस्टर निर्धारण समिति द्वारा पूर्व में दिनांक 14.03.2022 को अनुशंसित श्रेणीवार रोस्टर पंजिका का अवलोकन करने पर समिति के संज्ञान में आया कि :–

(A) सह आचार्य पद हेतु पॉइन्ट सं. 7 एवं 10 पर सहवन से क्रमशः **SC-1 (W-2)** एवं **OBC-2 (W-3)** दर्शाए गए हैं जबकि उक्त पद क्रमशः **SC-1** एवं **OBC-2** श्रेणी के होंगे, अर्थात उक्त पद महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होगे क्योंकि महिलाओं के लिए श्रेणीवार क्षैतिज आधार पर आरक्षण निर्धारित है।

(B) सहायक आचार्य पद हेतु पॉइन्ट सं. 7, 10 एवं 14 पर सहवन से क्रमशः **SC-1 (W-2)**, **OBC-2 (W-3)** एवं **UR-8 (W-4)** दर्शाए गए है जबकि उक्त पद क्रमशः **SC-1, OBC-2** एवं **UR-8** श्रेणी के होंगे, अर्थात उक्त पद महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होगे क्योंकि महिलाओं के लिए श्रेणीवार क्षैतिज आधार पर आरक्षण निर्धारित है।

(C) सहायक आचार्य पद हेतु पॉइन्ट सं. 12 पर सहवन से **UR-7** दर्शाया गया हैं जबकि उक्त पद **UR-7 (W-2)** श्रेणी का होगा क्योंकि महिलाओं के लिए श्रेणीवार क्षैतिज आधार पर रोस्टर में **UR-7** वां पद महिला के लिए आरक्षित है।

27/6/22	27/6	27.6.22	27/6/22
Prof. A. K. Nagawat Convenor	Prof. Shiv Prasad Member	Dr. J S Khichar Member	Sh. Ratan Kumar Member Secretary

परिशिष्ट 1 C

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

क्रमांक : प.14()संस्थापन/सीधी भर्ती/2022/ दिनांक : 08.02.2023

कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 17099 दिनांक 06.02.2023 के अनुसरण में शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए रोस्टर निर्धारण एवं संशोधित विज्ञापन प्रारूप तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 08.02.2023 दोपहर 12:15 बजे राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अतिथि गृह में आयोजित की गई जिसमें निम्न सदस्यगण उपस्थित रहे :–

क्र.सं.	नाम	पद नाम
01	डॉ0 ऐ0 के0 नगावत	सेवानिवृत आचार्य (भौतिक शास्त्र विभाग), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
02	डॉ0 आर0 एन0 जाट	सेवानिवृत आचार्य (गणित विभाग), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
03	डॉ0 जसवंत सिंह खीचड़	सेवानिवृत उप–कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
04	डॉ0 जगदीश प्रसाद	सेवानिवृत आचार्य (सांख्यिकी विभाग), राजस्थान वि.वि., जयपुर एवं राज्य सरकार द्वारा मनोनित प्रबंध बोर्ड सदस्य
05	प्रोफेसर शिवप्रसाद	प्रबंध विभाग, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
06	राजवीर सिंह चौधरी (RAS)	कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

सर्वप्रथम राजवीर सिंह चौधरी, कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। समिति द्वारा शैक्षणिक वर्ग के पदों हेतु रोस्टर एवं विज्ञापन का प्रारूप महिलाओं को क्षैतिज आधार पर आरक्षण का उल्लेख करते हुए संशोधित किया गया है।

शैक्षणिक वर्ग के पदों के लिए रोस्टर एवं विज्ञापन के संसोधित प्रारूप का प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदन करवाया जावे। अंत में सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

(ऐ0 के0 नगावत) (जगदीश प्रसाद) 08/02/2023 (आर0 एन0 जाट)

8/2/23 (जसवंत सिंह खीचड़) 8/2/2023 (शिवप्रसाद) 08/02/23 (राजवीर सिंह चौधरी)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

दिनांक :– 08.02.2023

शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए रोस्टर

विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 17099 दिनांक 06.02.2023 के द्वारा शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए रोस्टर निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 08.02.2023 दोपहर 12:15 बजे राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अतिथि गृह में आयोजित की गई जिसमें निम्न सदस्यगण उपस्थित रहे :–

क्र.सं.	नाम	पद नाम
01	डॉ0 ऐ0 के0 नगावत	सेवानिवृत आचार्य (भौतिक शास्त्र विभाग), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
02	डॉ0 आर0 एन0 जाट	सेवानिवृत आचार्य (गणित विभाग), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
03	डॉ0 जसवंत सिंह खीचड़	सेवानिवृत उप–कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
04	डॉ0 जगदीश प्रसाद	सेवानिवृत आचार्य (सांख्यिकी विभाग), राजस्थान वि.वि., जयपुर एवं राज्य सरकार द्वारा मनोनित प्रबंध बोर्ड सदस्य
05	प्रोफेसर शिवप्रसाद	प्रबंध विभाग, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
06	राजवीर सिंह चौधरी (RAS)	कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

शैक्षणिक पदों के लिए रोस्टर

क्र. स.	पदनाम एवं विभाग	रिक्त पद	श्रेणी		पे–लेवल, वेतन श्रृंखला एवं समेकित वेतन
1.	Professor – Department of Commerce प्रोफेसर – वाणिज्य विभाग	01	01-UR	अनारक्षित पदों में से एक पद क्षैतिज आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षित है।	AL-14, 144200–218200 (GP-10000) Rs. 104200/-
	Professor – Department of Geography प्रोफेसर – भूगोल विभाग	01	01-UR		
	Professor – Department of English प्रोफेसर – अंग्रेजी विभाग	01	01-UR		

Jagdish Prasad 8/2/23

	Professor – Department of Mathematics प्रोफेसर – गणित विभाग	01	01-UR		
	Professor – Department of Legal Studies प्रोफेसर – विधिक अध्ययन विभाग	01	01-BC		
2.	Associate Professor – Department of Commerce एसोसिएट प्रोफेसर – वाणिज्य विभाग	02	01-UR 01-UR	अनारक्षित पदों में से एक पद क्षैतिज आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षित है।	AL-13A, 131400–217100 (GP-9000) Rs. 90800/-
	Associate Professor – Department of Geography एसोसिएट प्रोफेसर – भूगोल विभाग	02	01-UR 01-UR		
	Associate Professor – Department of English एसोसिएट प्रोफेसर – अंग्रेजी विभाग	02	01-BC 01-UR		
	Associate Professor – Department of Mathematics एसोसिएट प्रोफेसर – गणित विभाग	02	01-SC 01-UR		
	Associate Professor – Department of Legal Studies एसोसिएट प्रोफेसर – विधिक अध्ययन विभाग	02	01-ST 01-BC		
3.	Assistant Professor – Department of Commerce असिस्टेंट प्रोफेसर – वाणिज्य विभाग	03	01-UR 01-UR 01-UR	अनारक्षित पदों में से दो पद क्षैतिज आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।	AL-10, 57700–182400 (GP-6000) Rs. 42500/-
	Assistant Professor – Department of Geography असिस्टेंट प्रोफेसर – भूगोल विभाग	03	01-UR 01-BC 01-UR		
	Assistant Professor – Department of English असिस्टेंट प्रोफेसर – अंग्रेजी विभाग	03	01-SC 01-UR 01-ST		
	Assistant Professor – Department of Mathematics असिस्टेंट प्रोफेसर – गणित विभाग	03	01-BC 01-EWS 01-UR		
	Assistant Professor – Department of Legal Studies असिस्टेंट प्रोफेसर – विधिक अध्ययन विभाग	03	01-SC 01-UR 01-BC		
4.	Assistant Librarian – सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	01	01-UR		
5.	Assistant Director Physical Education सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक	01	01-ST		

Abbreviations Used :- UR – Unreserved, UR(W)- Unreserved (Women), BC- Backward Class, SC- Scheduled Class, ST- Scheduled Tribe, EWS- Economically Weaker Section

Note :-

1. One post in each will be reserved for PWD benchmark disabilities under clause (a) Blindness and Low Vision as per Government of Rajasthan Rules in the 1st Block if qualified candidates are available in the category.

(ऐ० के० नगावत) (जगदीश प्रसाद) (आर० एन० जाट) 08/02/2023

(जसवंत सिंह खीचड़) 8/2/23 (शिवप्रसाद) 8/2/23 (राजवीर सिंह चौधरी) 08/02/23

(कुलसचिव)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

दिनांक :–

शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन

(विज्ञापन सं. .... / 2023)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में शैक्षणिक वर्ग के निम्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते है :–

क्र. स.	पदनाम एवं विभाग	रिक्त पद	श्रेणी		पे–लेवल, वेतन श्रृंखला एवं समेकित वेतन
1.	Professor – Department of Commerce प्रोफेसर – वाणिज्य विभाग	01	01-UR	अनारक्षित पदों में से एक पद क्षैतिज आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षित है।	AL-14, 144200–218200 (GP-10000) Rs. 104200/-
	Professor – Department of Geography प्रोफेसर – भूगोल विभाग	01	01-UR		
	Professor – Department of English प्रोफेसर – अंग्रेजी विभाग	01	01-UR		
	Professor – Department of Mathematics प्रोफेसर – गणित विभाग	01	01-UR		
	Professor – Department of Legal Studies प्रोफेसर – विधिक अध्ययन विभाग	01	01-BC		
2.	Associate Professor – Department of Commerce एसोसिएट प्रोफेसर – वाणिज्य विभाग	02	01-UR 01-UR	अनारक्षित पदों में से एक पद क्षैतिज आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षित है।	AL-13A, 131400–217100 (GP-9000) Rs. 90800/-
	Associate Professor – Department of Geography एसोसिएट प्रोफेसर – भूगोल विभाग	02	01-UR 01-UR		
	Associate Professor – Department of English एसोसिएट प्रोफेसर – अंग्रेजी विभाग	02	01-BC 01-UR		
	Associate Professor – Department of Mathematics एसोसिएट प्रोफेसर – गणित विभाग	02	01-SC 01-UR		
	Associate Professor – Department of Legal Studies एसोसिएट प्रोफेसर – विधिक अध्ययन विभाग	02	01-ST 01-BC		

08/02/23 Jagdish Prasad 8/2/23 8/2/23

3.	Assistant Professor – Department of Commerce असिस्टेंट प्रोफेसर – वाणिज्य विभाग	03	01-UR 01-UR 01-UR	अनारक्षित पदों में से दो पद क्षैतिज आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।	AL-10, 57700–182400 (GP-6000) Rs. 42500/-
	Assistant Professor – Department of Geography असिस्टेंट प्रोफेसर – भूगोल विभाग	03	01-UR 01-BC 01-UR		
	Assistant Professor – Department of English असिस्टेंट प्रोफेसर – अंग्रेजी विभाग	03	01-SC 01-UR 01-ST		
	Assistant Professor – Department of Mathematics असिस्टेंट प्रोफेसर – गणित विभाग	03	01-BC 01-EWS 01-UR		
	Assistant Professor – Department of Legal Studies असिस्टेंट प्रोफेसर – विधिक अध्ययन विभाग	03	01-SC 01-UR 01-BC		
4.	Assistant Librarian – सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	01	01-UR		
5.	Assistant Director Physical Education सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक	01	01-ST		

Abbreviations Used :- UR – Unreserved, UR(W)- Unreserved (Women), BC- Backward Class, SC- Scheduled Class, ST- Scheduled Tribe, EWS- Economically Weaker Section

Note :-

1. One post in each will be reserved for PWD benchmark disabilities under clause (a) Blindness and Low Vision as per Government of Rajasthan Rules in the 1st Block if qualified candidates are available in the category.
2. Detailed qualifications and other information are available on the University website www.shekhauni.ac.in .

आवेदको के लिए महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. अभ्यर्थी भारतीय नागरिक हो।
2. प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन–पत्र भरा जाएगा एवं शुल्क भी प्रत्येक आवेदित पद के लिए अलग से देय होगा।
3. ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि दिनांक समय रात्रि 12 बजे तक है, जिनकी मुद्रित (printed) हार्डकॉपी समस्त महत्वपूर्ण दस्तावेजों, यथा– शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि की समुचित पठनीय स्वप्रमाणित फोटोकॉपी सहित दिनांक ....तक विश्वविद्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए।
4. राजस्थान राज्य से बाहर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग व विशेष योग्यजन अभ्यर्थी, राजस्थान सरकार की आरक्षण नीति के नियमानुसार आरक्षण के पात्र नहीं होंगे अतः उन्हें अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत ही माना जावेगा।
5. <u>आवेदन शुल्क :–</u>
आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क की अदायगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाइन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से निम्नानुसार की जाएगी :–

क्र. सं.	प्रवर्ग	आवेदन शुल्क (रूपए)
1.	सामान्य संवर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के बी.सी. /एस.बी.सी. अभ्यर्थी	1000/–
2.	राजस्थान के एस.सी./एस.टी./बी.सी. नॉन–क्रीमीलेयर/एस.बी.सी. नॉन–क्रीमीलेयर अभ्यर्थी	500/–
3.	विशेष योग्यजन (शारीरिक विकलांग/दिव्यांग) अभ्यर्थी	100/–

नोटः– राजस्थान राज्य से अन्य भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का आवेदक माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क देना होगा।

6. आवेदक की न्यूनतम आयु आवेदन–पत्र की अंतिम तिथि को 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।

08/02/23 Jagdish Prasad 8/2/23

7. शैक्षणिक पदों पर भर्ती का प्रथम चरण मात्र छँटनी (short-listing) के लिए है, इन अंकों की गणना चयन में नहीं की जाएगी।
8. इस विज्ञप्ति के प्रसारण एवं चयन प्रक्रिया के समापन तक रिक्तियों में विधिक् तौर पर कोई अन्तर आने की स्थिति में रिक्त पदों की गणना चयन प्रक्रिया के समापन के समय की जायेगी।
9. विज्ञापित पदों पर भर्ती के लिए छँटनी (short-listing) हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया का निर्धारण किये जाने तथा बिना कारण निर्दिष्ट किए विज्ञापित पद पर भर्ती नहीं करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा।
10. विज्ञापित पदों हेतु चयन प्रक्रिया में हुई चूक अथवा त्रुटि के ज्ञात होने की स्थिति में, किसी भी स्तर (stage) पर, यहाँ तक कि नियुक्ति–पत्र जारी होने के पश्चात भी अभ्यर्थी को प्रदत्त/जारी किसी भी संचारण अथवा पत्र–व्यवहार को संशोधित करनें, वापस लेने अथवा निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा।
11. डाक में विलम्ब तथा परीक्षा/साक्षात्कार के आयोजन, परिणाम प्रकाशन एवं साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित नहीं करने के कारणों आदि के सम्बन्ध में किसी प्रकार के पत्र–व्यवहार पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। सम्बन्धित जानकारी हेतु आवेदक नियमित रूप से विश्वविद्यालय वेबसाइट का निरीक्षण करें।
12. उक्त पदों हेतु नियुक्ति परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में होगी एवं इस अवधि में उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप समेकित वेतन देय होगा। तथापि विश्वविद्यालय नियमानुसार वेतन संरक्षण (Pay Protection) का लाभ देय होगा।
13. परिवीक्षा अवधि में राज्य सरकार के नियमानुसार समेकित वेतन देय होगा।
14. सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त कार्मिक को नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण कर नियमानुसार वेतन भुगतान किया जाएगा। वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु उक्त परिवीक्षाधीन (प्रशिक्षु) अवधि की गणना नहीं की जाएगी।
15. केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/ विशेष योग्यजन अभ्यर्थी, आवेदन–पत्र के सम्बन्धित स्थान पर अपनी श्रेणी अंकित करें एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र की प्रति हार्डकॉपी के साथ संलग्न करें। आवेदक को आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि (..........................) को सबद्ध वर्ग में होना चाहिए।
16. आवेदन करने मात्र से आवेदक को सम्बन्धित पद हेतु संवीक्षा परीक्षा अथवा साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित करने का पात्र नहीं माना जाएगा।
17. विश्वविद्यालय के नियमानुसार जीवित सन्तानों की संख्या की बाध्यता एवं कार्मिकों के आचरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के नियम/आदेश लागू होंगे।
18. राजस्थान सरकार के आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान प्रभावी होंगे।
19. उक्त नियुक्तियों पर विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियम एवं प्रावधान लागू होंगे।
20. पूर्व से सेवा में नियोजित अभ्यर्थी उचित माध्यम से आवेदन–पत्र प्रस्तुत करें तथा साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता का अनापति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।
21. अनुभव प्रमाण–पत्र नियोक्ता द्वारा समुचित प्रारूप में संस्था के लेटर हैड पर जारी किया हुआ हो, जिसमें कार्य/सेवा की अवधि, कार्य की प्रकृति, पदनाम, वेतनमान (जी पी

08/02/23 Jagdish Prasad 8/2/23

सहित) आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। इसके अभाव में अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

22. आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में प्रेषित करते समय लिफाफे पर विज्ञापन संख्या एवं आवेदित पद का नाम अंकित करें।
23. स्क्रीनिंग टेस्ट / लिखित परीक्षा / मोखिक परीक्षा / साक्षात्कार आदि के लिए उपस्थित होने पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है।

कुलसचिव

क्रमांक :   दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं प्रसारणार्थ प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल, राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्त नियंत्रक शाखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
5. निजी सचिव – कुलपति / कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
6. रक्षित पत्रावली।

(ऐ0 के0 नगावत)   Jagdish Prasad (जगदीश प्रसाद)   08/02/2023 (आर0 एन0 जाट)

8/2/23 (जसवंत सिंह खीचड़)   Shivprasad 8/2/2023 (शिवप्रसाद)   08/02/23 (राजवीर सिंह चौधरी)

परिशिष्ट 2

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट : www.shekhauni.ac.in ई–मेल : reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं. : 01572-232411

क्रमांक : 14531 दिनांक : 01-11-2022

प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 15.10.2022 का कार्यवाही विवरण

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 15.10.2022 को प्रातः 11:30 बजे विश्वविद्यालय परिसर के कुलपति सचिवालय सभागार में आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:–

क्र.सं	नाम	पद नाम	पदेन
1.	डॉ. भगीरथ सिंह	माननीय कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री जे. पी. चंदेलिया	माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र पिलानी	सदस्य
3.	श्री महेश कुमार शर्मा	कोषाधिकारी, सीकर एवं प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, जयपुर	सदस्य
4.	डॉ. के. डी. स्वामी	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित	सदस्य
5.	डॉ. फिरोज अख्तर	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा एवं प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, जयपुर	सदस्य
6.	डॉ. शम्भू उपाध्याय	माननीय राज्यपाल प्रतिनिधि	सदस्य
7.	डॉ. डी. एस. थालौड़	माननीय कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, विधि संकाय	सदस्य
8.	डॉ. पुष्पा चौधरी	माननीय कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय	सदस्य
9.	डॉ. ऋचा कुलश्रेष्ठ	प्राचार्य, निजी महाविद्यालय राज्य सरकार प्रतिनिधि	सदस्य
10.	श्री राजवीर सिंह चौधरी	कुलसचिव	सदस्य सचिव
11.	श्री अर्जुन लाल गुर्जर	वित्त नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
12.	डॉ. रवीन्द्र कुमार कटेवा	उपकुलसचिव	विशेष आमंत्रित सदस्य

समिति के सदस्य डॉ. फिरोज अख्तर, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा एवं प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, डॉ. शम्भू उपाध्याय, माननीय राज्यपाल प्रतिनिधि, डॉ. के. डी. स्वामी, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित सदस्य, ऑनलाईन गुगल मीट (Google Meet) प्लेटफॉर्म से बैठक में सम्मिलित हुये।

प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य श्री राजेन्द्र पारीक, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र सीकर, आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं माननीय कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित डॉ. राहुल सिंह बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक की विधिवत कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने सभी आगुन्तक सदस्यों हार्दिक स्वागत किया। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया और प्रबंध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत मदों (Agendas) पर निम्नानुसार निर्णय किये गये :–

Item Agenda (मद) 1 :– प्रबंध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 28.05.2022 के कार्यवृत की पुष्टि का प्रस्ताव।
(कार्य सूची की परिशिष्ट – I)

निर्णयः बैठक दिनांक 28.05.2022 के कार्यवृत की पुष्टि इस प्रेक्षण के साथ की गई कि प्रो. के. डी. स्वामी द्वारा संविधान पार्क के निर्माण राशि पर अपनी विम्मति दर्ज कराई। प्रबंध बोर्ड ने राजभवन के निर्देशों की पालना में संविधान पार्क के निर्माण को पूर्ण करने की सहमति प्रदान की गई।

Item Agenda (मद) 2 :– प्रबंध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 28.05.2022 के अनुपालना प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।
(कार्य सूची की परिशिष्ट – II)

निर्णयः कार्य सूची की परिशिष्ट II में संलग्न अनुपालना प्रतिवेदन (ATR) का अनुमोदन इस प्रेक्षण के साथ किया गया कि एजेण्डा निर्णय संख्या 8 में सेठ जी. बी. पोदार महाविद्यालय, नवलगढ़, झुन्झुनू के कूटरचित दस्तावेजों की जांच करने हेतु गठित समिति के सदस्य को प्रबंध बोर्ड का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण समिति का पुनर्गठन किया गयाः

1. डॉ. पुष्पा चौधरी, प्रबंध बोर्ड सदस्य
2. डॉ. अशोक कुमार गोदारा, संकायाध्यक्ष शिक्षा

उक्त समिति संबंधित दस्तावेजों की जांच कर जांच प्रतिवेदन आगामी प्रबंध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 3 :– विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 30.09.2022 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।
(कार्य सूची की परिशिष्ट – III)

निर्णयः विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 30.09.2022 के कार्यवृत (कार्य सूची की संलग्न परिशिष्ट III) का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 4 :– स्वयंपाठी विद्यार्थियों से निजी महाविद्यालयों द्वारा प्रायोगिक परीक्षा/सैद्धांतिक परीक्षा/परीक्षा फार्म भरते समय लिये जाने वाले शुल्क के निर्धारण पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः स्वयंपाठी विद्यार्थियों से निजी महाविद्यालयों द्वारा प्रायोगिक परीक्षा/सैद्धांतिक परीक्षा में महाविद्यालय में परीक्षा फार्म जमा करवाने के प्रति छात्र शुल्क अधिकतम रू. 200 (अंकेही दो सौ) से ज्यादा न हो, लिये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 5 :— प्रतिवेदन है कि सम्बद्धता हेतु आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात एम.डी.एस. कॉलेज, खोरी ब्राह्मणान, रघुनाथगढ़, सीकर, शोभासरिया कॉलेज, गोकुलपुरा, सीकर, प्रिंस कॉलेज, सीकर द्वारा सम्बद्धता आवेदन पत्रावली शास्ति के साथ जमा करवाई गई है।

निर्णयः प्रतिवेदित मद का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 6 :— विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय तकनीकी कारणों से दो या दो बार से अधिक परीक्षा शुल्क कट जाने पर संबंधित विद्यार्थी को परीक्षा शुल्क वापस (Refund) करने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विद्यार्थी द्वारा दो या दो से अधिक बार ऑनलाईन भुगतान की पुष्टि हो जाने पर संबंधित विद्यार्थी को संबंधित वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने पर परीक्षा शुल्क वापस (Refund) करने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 7 :— शिक्षा संकाय में शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम (B.P.Ed., M.P.Ed.) के सम्बद्धता शुल्क के निर्धारण पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः शिक्षा संकाय में शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम (B.P.Ed., M.P.Ed.) के सम्बद्धता शुल्क राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में संचालित शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम की भांति सम्बद्धता शुल्क रखे जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 8 :— विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में अवस्थित पूर्व अनुदानित महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता शुल्क नहीं जमा करवाये जाने पर शुल्क/दण्ड पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में अवस्थित पूर्व अनुदानित महाविद्यालयों जिनको राजस्थान विश्वविद्यालय में स्थायी पदों पर नियुक्ति होने से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त थी परन्तु ऐसे सभी महाविद्यालय वर्तमान में स्थायी सम्बद्धता की पात्रता नहीं रखते हैं। इन सभी निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक के स्थायी पद भी स्वीकृत नहीं हैं। अतः स्थायी पद पर नियुक्त होने तक इन महाविद्यालयों को अस्थायी सम्बद्धता ही प्रदान की जा सकती है।

ऐसे महाविद्यालयों से संबंधित प्रकरण को राज्य सरकार से अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने व क्या शुल्क लेना है? इस हेतु मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

Item Agenda (मद) 9 :— आगामी वर्ष 2023–24 हेतु मांगे जाने वाले सम्बद्धता आवेदन पत्र एवं सम्बद्धता शुल्क पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 30.12.2021 के पूर्व निर्णयानुसार ही सम्बद्धता शुल्क निर्धारित किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 10 :– राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर, राजकीय विज्ञान महाविद्यालय, सीकर एवं राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय की स्थायी संबद्धता के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः इस संबंध में राज्य सरकार को पुनः स्मरण पत्र भेजे जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 11 :– राजस्थान पी.जी. महाविद्यालय, बिसाऊ, झुंझुनू के द्वारा सत्र 2022–23 की सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु निर्धारित शुल्क से रू. 90734/– कम का डी.डी. जमा करवाया गया, शेष सम्बद्धता शुल्क के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु निर्धारित शुल्क से जितनी राशि कम जमा करायी गई है, उस कम जमा राशि की दुगुनी राशि लिये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 12 :– जिन महाविद्यालयों की भूमि का भूरूपान्तरण प्रक्रिया पूर्ण कर स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिया है तथा स्वीकृति अपेक्षित है, उन महाविद्यालयों की सम्बद्धता पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः संबंधित महाविद्यालय से भूमि का भूरूपान्तरण से संबंधित अण्डरटेकिंग लेकर सम्बद्धता जारी किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 13 :– प्रमुख सचिव, राज्यपाल राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.1 (4) (22) आरबी/2018 पार्ट/13682 दिनांक 11.03.2022 के अनुसार SUMS का क्रियान्वयन करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – IV)

निर्णयः प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर के अनुसार "SUMS के क्रियान्वयन का यह प्रकरण उच्च स्तर पर विचाराधीन है।" अतएव यह निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक तक मद को स्थगित किया जाये।

Item Agenda (मद) 14 :– विश्वविद्यालय में M.P.Ed., M.Lib., प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, हिन्दी, राजनीति विज्ञान, इतिहास एवं समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम शुरू किये जाने हेतु राज्य सरकार से अनुमति लिये जाने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः उपरोक्त सभी पाठ्यक्रम शुरू किये जाने हेतु राज्य सरकार से अनुमति लेने हेत पत्र लिखे जाने का निर्णय किया गया। ये सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की निजी आय से संचालित करने का निर्णय किया गया।

टेबल एजेण्डा

Table Agenda (मद) 1 :– प्रतिवेदित किया जाता है कि कर निर्धारण वर्ष 2018–19 व कर निर्धारण वर्ष 2019–20 हेतु आयकर मांग में 20 प्रतिशत आयकर की राशि क्रमशः रू. 48411131/– व 9273731/– अग्रिम जमा करवाई गई।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – V)

निर्णयः कार्यसूची की परिशिष्ट–V के प्रस्तावों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया।

Table Agenda (मद) 2 वित्त वर्ष 2020–21 की अधिशेष निधियों की उपयोग हेतु आयकर विभाग को प्रस्तुत 5 वर्ष योजना का अनुमोदन एवं वित्त वर्ष 2021–22 के अधिशेष निधियों के उपयोग हेतु 5 वर्ष के लिये प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रस्तावों के अनुमोदन के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VI)

निर्णयः कार्यसूची की परिशिष्ट–VI का अनुमोदन किया गया।

Table Agenda (मद) 3 :– प्रतिवेदित किया जाता है कि प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 22.09.2021 के पश्चात विश्वविद्यालय की अधिशेष निधियों का सावधि जमा में विनियोजन किया गया।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VII)

निर्णयः कार्यसूची की परिशिष्ट–VII का अनुमोदन किया गया।

Table Agenda (मद) 4 :– विश्वविद्यालय के वर्ष 2021–22 के वार्षिक लेखे तैयार करने हेतु, लेखों की सनदी लेखाकार द्वारा वैधानिक अंकेक्षण, आयकर की धारा 12 A की ऑडिट व आयकर विवरणी दाखिल करने हेतु सनदी लेखाकारों की गई नियुक्तियों के अनुमोदन के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VIII)

निर्णयः कार्यसूची की परिशिष्ट–VIII का अनुमोदन किया गया।

Table Agenda (मद) 5 :– विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने हेतु तृतीय पाटी निरीक्षण करवाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने हेतु मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर (M.N.I.T.) से तृतीय पार्टी निरीक्षण करवाने का निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 6 :– विश्वविद्यालय की आवश्यक सेवाओं (Utility) बिजली, पानी एवं संचार की नियमित देखभाल एवं रखरखाव हेतु जॉब वर्क के वार्षिक आधार पर सेवाएं लेने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय की आवश्यक सेवाओं (Utility) बिजली, पानी एवं संचार की नियमित देखभाल एवं रखरखाव हेतु जॉब वर्क के वार्षिक आधार पर सेवाएं टेण्डर के माध्यम से लिये जाने का निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 7 :— स्पोर्ट्स बोर्ड की बैठक दिनांक 08.08.2022 के कार्यवृत का अनुमोदन।
(कार्य सूची की परिशिष्ट — IX))

निर्णयः कार्यसूची की परिशिष्ट—IX का अनुमोदन इस प्रेक्षण के साथ किया गया कि:

(i) अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को रू. 10000/— प्रति वर्ष के स्थान पर रू. 10000/— प्रति माह की छात्रवृति दिये जाने का निर्णय किया गया।

(ii) डॉ. ऋचा कुलश्रेष्ठ को स्पोर्ट्स बोर्ड की सदस्य नियुक्त किया गया।

Table Agenda (मद) 8 :—सत्र 2019—20 की परीक्षा में तीन महाविद्यालयों में परीक्षा प्रश्न—पत्र, परीक्षा प्रश्न—पत्र से भिन्न खोलने पर विश्वविद्यालय की ओर से एक उच्चतर समिति का गठन किया गया। समिति का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया, अतः समिति की जांच सीटिंग एवं प्रतिवेदन के टंकण, लेखन का मानदेय तय करना।

निर्णयः जांच समिति के सदस्यों को प्रति बैठक प्रबंध बोर्ड के सदस्यों के समकक्ष रू. 3000/— सीटिंग चार्जेज एवं रू. 5000/— प्रतिवेदन के के टंकण, लेखन का मानदेय दिये जाने का निर्णय किया गया।

<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु</u>

अंत में, माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की।

कुलसचिव

परिशिष्ट 2A

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांक : संस्थापन / रोस्टरनिर्धारण / 2021–22 /   दिनांक :

रोस्टर समिति की बैठक दिनांक 27.04.2022 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक : प.14() / संस्थापन / सीधी भर्ती / 2019–20 / 30059–65 दिनांक 22.04.2022 के द्वारा गठित रोस्टर निर्धारण समिति की दिनांक 27.04.2022 को दोपहर 11:30 बजे राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के गेस्ट हाउस में बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न सदस्यगण उपस्थित रहें :–

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	पता	धारित पद
01	प्रो0 अशोक नागावत से.नि. प्रोफेसर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	संयोजक
02	प्रो0 रामनिवास जाट से.नि. प्रोफेसर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	सदस्य
03	प्रो0 शिवप्रसाद , प्रोफेसर	महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	सदस्य
04	डॉ0 जे. एस. खीचड़ से.नि. उप कुलसचिव	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय , बीकानेर	सदस्य
05	श्री अर्जुन लाल गुर्जर	कार्यवाहक कुलसचिव , PDUSU, Sikar	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम श्री अर्जुन लाल गुर्जर कार्यवाहक कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा संयोजक एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। उच्च शिक्षा (ग्रुप–04) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.14(5)शिक्षा–4 / 2012 पार्ट जयपुर दिनांक 20.11.2017 के द्वारा अशैक्षणिक पदों की भर्ती हेतु प्रदत स्वीकृति के संदर्भ में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक पं. 7(2)कार्मिक / क–2 / 19 दिनांक 24.02.2020 में अंकित प्रावधानानुसार निम्न पदों के लिए रोस्टर पंजिका हेतु श्रेणीवार अनुशंसा की जाती है :–

क्र.सं.	पदनाम एवं संख्या	श्रेणी
01	परीक्षा नियंत्रक – 01	01 अनारक्षित (UR)
02	उप–कुलसचिव – 01	01 अनारक्षित (UR)
03	सहायक कुलसचिव – 02	01 अनारक्षित (UR)
		02 अनारक्षित (UR)

04	विधि सहायक – 01	01 अनारक्षित (UR)
05	स्टेनोग्राफर – 02	01 अनारक्षित (UR)
		02 अनारक्षित (UR)
06	वाहन चालक – 01	01 अनारक्षित (UR)

शेष अशैक्षणिक पदों के रोस्टर का निर्धारण आगामी बैठक में करने का निर्णय लिया गया।

Note : One post in each of above will be reserved horizontally for PWD benchmark disabilities under clause (a) blindness and low vision in the 1st Block as per Notification issued by The State Government wide no P.14(36)Karmic/K-2/2007 Part-I Jaipur Dated 01.12.2021

(प्रो0 अशोक नागावत)
संयोजक

(प्रो0 शिवप्रसाद) 27/4/2022
सदस्य

(डॉ0 जे. एस. खीचड़)
सदस्य

27/4/2022
(प्रो0 रामनिवास जाट)
सदस्य

27/4/22
(श्री अर्जुन लाल गुर्जर)
सदस्य सचिव

परिशिष्ट 2B

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

क्रमांक : प.14()संस्थापन / सीधी भर्ती / 2022 /   दिनांक : 18.01.2023

शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 18.01.2023 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक :प.14()संस्थापन / सीधी भर्ती / 2022 / 15039–45 दिनांक 05.12.2022 के द्वारा शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 18.01.2023 दोपहर 12:15 बजे राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अतिथि गृह में बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न सदस्यगण उपस्थित रहें :–

क्र.सं.	नाम	पद नाम
01	डॉ0 ऐ0 के0 नगावत	सेवानिवृत आचार्य (भौतिक शास्त्र विभाग), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
02	डॉ0 आर0 एन0 जाट	सेवानिवृत आचार्य (गणित विभाग), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
03	डॉ0 जगदीश प्रसाद	सेवानिवृत आचार्य (सांख्यिकी विभाग), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं राज्य सरकार द्वारा मनोनित प्रबंध बोर्ड सदस्य
04	डॉ0 जसवंत सिंह खीचड़	सेवानिवृत उप–कुलसचिव, संस्थापन, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
05	श्री राजवीर सिंह चौधरी (RAS)	कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

सर्वप्रथम श्री राजवीर सिंह चौधरी, कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। निम्न संलग्नकों को समिति द्वारा अनुशंषित किया गया :–

1. अशैक्षणिक वर्ग (कनिष्ठ लिपिक) के पदों का रोस्टर जो कि राजस्थान सरकार कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र क्रमांक पं. 7(2)कार्मिक / क–2 / 19 दिनांक 24 फरवरी 2020 के आधार पर बनाया गया है जहां पर क्षैतिज आरक्षण को उर्ध्वाधर श्रेणीयों में पृथक–पृथक निर्धारित किया गया है।
2. अशैक्षणिक वर्ग (कनिष्ठ लिपिक) के पदों का विज्ञापन प्रारूप
3. अशैक्षणिक वर्ग (कनिष्ठ लिपिक) के पदों के लिए नियमावली

अशैक्षणिक वर्ग (कनिष्ठ लिपिक) के पदों के लिए नियमावली का प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदन करवाया जाये। अंत में सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित कर के बैठक का समापन किया गया।

(डॉ0 ऐ0 के0 नगावत)   (डॉ0 आर0 एन0 जाट) 18/01/2023   Jagdish Prasad (डॉ0 जगदीश प्रसाद) 18/01/2023

(डॉ0 जसवंत सिंह खीचड़)

18/01/23
(श्री राजवीर सिंह चौधरी)
कुलसचिव

Annex-1.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

कनिष्ठ लिपिक पदों पर भर्ती हेतु रोस्टर

S.No.	Vertical Category	Horizontal Women	Horizontal Ex-Service Men
1	UR-01		
2	UR-02		
3	UR-03		
4	UR-04	W-01	
5	BC-01		
6	UR-05		
7	SC-01		
8	UR-06		
9	ST-01		
10	BC-02		
11	EWS-01		
12	UR-07	W-02	
13	SC-02		
14	UR-08		EX-SERV.
15	BC-03		
16	UR-09		
17	ST-02		
18	UR-10	WIDOW-01	
19	SC-03		
20	BC-04	W-01	
21	MBC-01		
22	EWS-02		
23	UR-11		
24	BC-05		
25	ST-03		
26	SC-04	W-1	
27	UR-12		
28	UR-13		
29	BC-06		

18/01/23

18/01/2023

Jagdish Prasad
18/01/2023

Annex-3

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

अशैक्षणिक वर्ग (कनिष्ठ लिपिक) पद पर भर्ती हेतु नियमावली

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत कनिष्ठ लिपिक पदों पर भर्ती हेतु शैक्षणिक योगयता, आरक्षण प्रावधान, आयु एवं अन्य बिन्दुओं के संबंध में नियमावली :–

1. **कनिष्ठ लिपिक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता/अर्हता :–**

(अ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से (10+2) पद्धति में उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा मान्य बोर्ड से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

"तथा"

(ब) भारत सरकार के इलेक्ट्रोनिकी विभाग के डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 द्वारा आयोजित 'O' या उच्च स्तर का सर्टीफिकेट कोर्स उत्तीर्ण।

अथवा

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से "राष्ट्रीय राज्य वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम" के अन्तर्गत "कंप्यूटर ऑपरेटर व प्रोग्रामिंग सहायक (COPA)" या "डेटा प्रीपरेशन व कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्टीफिकेट" परीक्षा उत्तीर्ण

अथवा

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा या सर्टीफिकेट

अथवा

राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लि0 (RKCL) के नियंत्रणाधीन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा आयोजित राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र कोर्स (RS-CIT)

उक्त पद हेतु प्रार्थी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता/अर्हता ऑनलाईन आवेदन–पत्र की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है।

2. **कनिष्ठ लिपिक पद हेतु चयन प्रक्रिया :–**

(1) कनिष्ठ लिपिक पद पर चयन लिखित परीक्षा (फेज–I) एवं कंप्यूटर टाईपिंग टेस्ट (फेज–II) के आधार पर ही किया जायेगा।

(2) लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर (10+2) उच्च माध्यमिक परीक्षा में अधिक अंक प्रतिशत प्राप्तकर्ता को वरीयता दी जाएगी। लिखित परीक्षा एवं (10+2) उच्च माध्यमिक परीक्षा में समान अंक होने पर अधिक आयु वाले परीक्षार्थी को वरीयता दी जाएगी।

(3) चयन हेतु परीक्षा निम्न प्रकार से आयोजित की जाएगी :–

<u>Phase-I</u>

(अ) प्रश्न पत्र – प्रथम (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) – पूर्णांक 300 अंक
सामान्य ज्ञान – 33 प्रश्न, सामान्य विज्ञान – 33 प्रश्न, गणित – 34 प्रश्न (कुल 100 प्रश्न)
समय – 3 घंटे।

Jagdish Prasad 18/01/2023

18/01/23

(ब) प्रश्न पत्र – द्वितीय (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) – पूर्णांक 300 अंक
सामान्य हिन्दी – 50 प्रश्न व सामान्य अंग्रेजी – 50 प्रश्न (कुल 100 प्रश्न)
समय – 3 घंटे।

नोट :–

(1) प्रश्न पत्रों का स्तर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10+2 पद्धति के माध्यमिक परीक्षा के समतुल्य होगा।

(2) कनिष्ठ लिपिक पद हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र की लिखित परीक्षा 300 अंक की बहुवैकल्पिक प्रश्न–पत्र में होगी, जिसमें 3–3 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का एक (1) अंक काटा जाएगा।

(3) कनिष्ठ लिपिक पद हेतु विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या के **तीन गुने** के अध्यधीन लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से वरीयता क्रम में उपलब्ध अभ्यर्थी कम्प्यूटर टाइप टेस्ट हेतु पात्र होंगे। तथापि वे समस्त अभ्यर्थी भी कम्प्यूटर टाइप टेस्ट के लिए पात्र होंगे जो लिखित परीक्षा की निर्धारित वरीयता में अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करते हैं। वरीयता सूची प्रत्येक वर्ग की पृथक–पृथक तैयार की जाएगी।

Phase-II

हिन्दी एवं अंग्रेजी में टाइप टेस्ट 10–10 मिनट का कुल 200 अंक (100 हिन्दी + 100 अंग्रेजी) का होगा। कम्प्यूटर टाइप टेस्ट में हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईप टेस्ट में उत्तीर्ण होने के लिए दोनों में पृथक–पृथक **न्यूनतम 36 प्रतिशत उत्तीर्णांक** आवश्यक हैं। विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को उनके द्वारा Phase-I में प्राप्त अंकों का औसत प्रदान किया जाएगा।

कनिष्ठ लिपिक पद हेतु लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर टाइप टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों में से कुल पूर्णांक 800 में से प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक वर्ग की वरीयता सूची (Merit List) पृथक–पृथक तैयार की जाएगी। प्रत्येक वर्ग में उपलब्ध रिक्तियों के अनुरूप सम्बन्धित श्रेणी के उन्हीं अभ्यर्थियों को वरीयता क्रमानुसार नियुक्ति प्रदान करने हेतु चयन समिति द्वारा अनुशंसा की जाएगी, जो अर्हता शर्तों के अनुसार अंतिम रूप से पात्र पाये जाएंगे।

3. **रनिंग पे–बैण्ड** :– रूपये 5200–20200 ग्रेड–पे रू. 2400/– समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा संसोधित।

4. **आयु** :–

आवेदन की अंतिम दिनांक तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष से अधिक का नहीं हुआ हो। अधिकतम आयु सीमा में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार निम्न प्रकार छूट प्रदत्त होगी :–

1. राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट होगी।
2. राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के मामले में 10 वर्ष की छूट होगी।
3. अनारक्षित वर्ग की महिला आवेदकों के मामलों में 5 वर्ष की छूट होगी।
4. भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।
5. निःशक्तजन श्रेणी के सामान्य अभ्यर्थियों को 10 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को 13 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 15 वर्ष की छूट देय होगी।

Jagdish Prasad
18/01/2023

नोट :– (1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non-Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोडकर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
(2) उक्त प्रावधान में दिये गए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट से संबंधी प्रावधानों में तत्संबंधी वर्गों के वर्गीकरण की परिवर्तनीय स्थिति में नियमानुसार छूट देय होगी। यदि किसी वर्ग में पद आरक्षित नहीं हुए हो तो उस वर्ग के अभ्यर्थियों को उक्त प्रावधान के अन्तर्गत अधिकतम आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी।

5. नियुक्ति के लिए अयोग्यता :–

1. किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से तभी छूट दी जा सकती है यदि विश्वविद्यालय प्रबंधन संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले से जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से तभी छूट दी जा सकती है यदि विश्वविद्यालय प्रबन्धन संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
3. ऐसा अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक जीवित संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
   परन्तु दो से अधिक संतान वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जाएगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती।
   परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।
   परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जावेगी।
4. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

6. आरक्षण :–

अशैक्षणिक वर्ग (कनिष्ठ लिपिक) हेतु विभिन्न वर्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रावधान अनुसार लागु होंगे।

(डॉ0 ऐ0 के0 नगावत) | 18/01/2023 (डॉ0 आर0 एन0 जाट) | Jagdish Prasad (डॉ0 जगदीश प्रसाद) 18/01/2023

(डॉ0 जसवंत सिंह खीचड़) 18/1/23 | 18/01/23 (श्री राजवीर सिंह चौधरी) कुलसचिव

Annex-2

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

विज्ञापन संख्या ....

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन–पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किए जाते हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

पदों की कुल संख्या	अनारक्षित पद					अनुसूचित जाति वर्ग				अनुसूचित जनजाति वर्ग				पिछड़ा वर्ग				आर्थिक पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	भूतपूर्व सैनिक	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
29	09	02	01	–	01	03	01	–	–	03	–	–	–	05	01	–	–	02	–	–	–	01	–	–	–

One post in each will be reserved for PWD benchmark disabilities under clause (a) Blindness and Low Vision as per Government of Rajasthan Rules in the 1st Block if qualified candidates are available in the category.

नोट :– ऑनलाईन आवेदन–पत्र में कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन एवं उसकी अभ्यार्थिता किसी भी स्तर पर रद्द कर दी जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ध्यान रहे कि गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। समस्त अभ्यार्थियों को परीक्षा की अनुमति निर्धारित पात्रता शर्तो को पूरा करने की शर्त के अध्यधीन पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) होगी।

1. **कनिष्ठ लिपिक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता/अर्हता :–**

(अ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से (10+2) पद्धति में उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा मान्य बोर्ड से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

"तथा"

(ब) भारत सरकार के इलेक्ट्रोनिकी विभाग के डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 द्वारा आयोजित 'O' या उच्च स्तर का सर्टीफिकेट कोर्स उत्तीर्ण।

अथवा

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से "राष्ट्रीय राज्य वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम" के अन्तर्गत "कंप्यूटर ऑपरेटर व प्रोग्रामिंग सहायक (COPA)" या "डेटा प्रीपरेशन व कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्टीफिकेट" परीक्षा उत्तीर्ण

अथवा

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा या सर्टीफिकेट

अथवा

Jagdish Prasad 18/01/2023

18/01/23

राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लि0 (RKCL) के नियंत्रणाधीन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा आयोजित राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र कोर्स (RS-CIT)

उक्त पद हेतु प्रार्थी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता/अर्हता ऑनलाईन आवेदन–पत्र की अंतिम दिनांक .... तक प्राप्त होना आवश्यक है।

2. **कनिष्ठ लिपिक पद हेतु चयन प्रक्रिया :–**

(1) कनिष्ठ लिपिक पद पर चयन लिखित परीक्षा (फेज–I) एवं कंप्यूटर टाईपिंग टेस्ट (फेज–II) के आधार पर ही किया जायेगा।

(2) लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर (10+2) उच्च माध्यमिक परीक्षा में अधिक अंक प्रतिशत प्राप्तकर्ता को वरीयता दी जाएगी। लिखित परीक्षा एवं (10+2) उच्च माध्यमिक परीक्षा में समान अंक होने पर अधिक आयु वाले परीक्षार्थी को वरीयता दी जाएगी।

(3) चयन हेतु परीक्षा निम्न प्रकार से आयोजित की जाएगी :–

Phase-I

(अ) प्रश्न पत्र – प्रथम (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) – पूर्णांक 300 अंक
सामान्य ज्ञान – 33 प्रश्न, सामान्य विज्ञान – 33 प्रश्न, गणित – 34 प्रश्न (कुल 100 प्रश्न)
समय – 3 घंटे।

(ब) प्रश्न पत्र – द्वितीय (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) – पूर्णांक 300 अंक
सामान्य हिन्दी – 50 प्रश्न व सामान्य अंग्रेजी – 50 प्रश्न (कुल 100 प्रश्न)
समय – 3 घंटे।

नोट :–

(1) प्रश्न पत्रों का स्तर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10+2 पद्धति के माध्यमिक परीक्षा के समतुल्य होगा।

(2) कनिष्ठ लिपिक पद हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र की लिखित परीक्षा 300 अंक की बहुवैकल्पिक प्रश्न–पत्र में होगी, जिसमें 3–3 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का एक (1) अंक काटा जाएगा।

(3) कनिष्ठ लिपिक पद हेतु विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या के **तीन गुने** के अध्यधीन लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से वरीयता क्रम में उपलब्ध अभ्यर्थी कम्प्यूटर टाइप टेस्ट हेतु पात्र होंगे। तथापि वे समस्त अभ्यर्थी भी कम्प्यूटर टाइप टेस्ट के लिए पात्र होंगे जो लिखित परीक्षा की निर्धारित वरीयता में अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करते हैं। वरीयता सूची प्रत्येक वर्ग की पृथक–पृथक तैयार की जाएगी।

Phase-II

हिन्दी एवं अंग्रेजी में टाइप टेस्ट 10–10 मिनट का कुल 200 अंक (100 हिन्दी + 100 अंग्रेजी) का होगा। कम्प्यूटर टाइप टेस्ट में हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईप टेस्ट में उत्तीर्ण होने के लिए दोनों में पृथक–पृथक न्यूनतम 36 प्रतिशत उत्तीर्णांक आवश्यक हैं। विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को उनके द्वारा Phase-I में प्राप्त अंकों का औसत प्रदान किया जाएगा।

कनिष्ठ लिपिक पद हेतु लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर टाइप टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों में से कुल पूर्णांक 800 में से प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक वर्ग की वरीयता सूची (Merit List) पृथक–पृथक तैयार की जाएगी। प्रत्येक वर्ग में उपलब्ध रिक्तियों के अनुरूप सम्बन्धित श्रेणी के उन्हीं अभ्यर्थियों को वरीयता क्रमानुसार नियुक्ति प्रदान करने हेतु चयन समिति द्वारा अनुशंसा की जाएगी, जो अर्हता शर्तों के अनुसार अंतिम रूप से पात्र पाये जाएंगे।

Jagdish Prasad
18/01/2023

18/01/23

3. रनिंग पे–बैण्ड :– रूपये 5200–20200 ग्रेड–पे रू. 2400/–

4. कनिष्ठ लिपिक पद हेतु आयु :–

आवेदक आवेदन की अंतिम दिनांक .... को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष से अधिक का नहीं हुआ हो। अधिकतम आयु सीमा में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार निम्न प्रकार छूट प्रदत्त होगी :–

1. राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट होगी।
2. राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के मामले में 10 वर्ष की छूट होगी।
3. सामान्य वर्ग की महिला आवेदकों के मामलों में 5 वर्ष की छूट होगी।
4. भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।
5. निःशक्तजन श्रेणी के सामान्य अभ्यर्थियों को 10 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को 13 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 15 वर्ष की छूट देय होगी।

   नोट :– (1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non-Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

   (2) उक्त प्रावधान में दिये गए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट से संबंधी प्रावधानों में तत्संबंधी वर्गों के वर्गीकरण की परिवर्तनीय स्थिति में नियमानुसार छूट देय होगी। यदि किसी वर्ग में पद आरक्षित नहीं हुए हो तो उस वर्ग के अभ्यर्थियों को उक्त प्रावधान के अन्तर्गत अधिकतम आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी।

5. नियुक्ति के लिए अयोग्यता :–

1. किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से तभी छूट दी जा सकती है यदि विश्वविद्यालय प्रबंधन संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले से जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से तभी छूट दी जा सकती है यदि विश्वविद्यालय प्रबन्धन संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
3. ऐसा अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक जीवित संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

   परन्तु दो से अधिक संतान वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जाएगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती।

   परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

Jagdish Prasad
18/01/2023

18.01.23

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जावेगी।

4. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

6. परीक्षा का माह एवं दिनांक :–

परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दी जाएगी जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.shekhauni.ac.in पर भी देखा जा सकता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

7. परीक्षा शुल्क :–

1. सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आवेदकों हेतु 1000/– रू.।
2. समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु 500/– रू.।

8. अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में :–

पूर्व से सेवा में नियोजित अभ्यर्थी उचित माध्यम से आवेदन–पत्र प्रस्तुत करें, तथापि आवेदन की अग्रिम प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं।

9. समस्त अभ्यर्थियों हेतु विशेष सूचना :–

1. भूतपूर्व सैनिक व निःशक्तजन के लिए दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है।
2. भूतपूर्व सैनिक :–
   (1) भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों के विरूद्ध आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत हो जाना आवश्यक है, अन्यथा उसे आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
   (2) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
3. महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Category Wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्ष्ज्ञण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।
   A. स्पष्टीकरण : किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उस वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। पिछडी जाति की विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नॉन क्रीमीलेयर का नवीनतम प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी आरक्षण का लाभ देय होगा अन्यथा नहीं। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद केवल राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरे जाएंगे। राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी नहीं होने पर आवेदक को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इनके लिए आरक्षित पदों को सामान्य/अन्य पिछड़ वर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जायेगा एवं राज्य

18.01.23

Jagdish Prasad
18/01/2023

सरकार के नियमानुसार अग्रणीत किया जाएगा। राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, उत्कृष्ट खिलाड़ी व भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा।

6. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में विश्वविद्यालय द्वारा कमी या बढ़ोत्तरी की जा सकती है। इसके लिए अलग से कोई सूचना/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
7. उक्त पदों पर चयन उपरान्त प्रारम्भ में प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में दो वर्ष के लिए नियुक्ति की जाएगी। इस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राज्य सरकार/विश्वविद्यालय सेवा नियमों में प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद का वेतन बैण्ड, ग्रेड पे एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। तथापि ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में राजकीय विभागों/स्वायत्तशाषी संस्थाओं/बोर्डो/स्थानीय निकायों/संस्थाओं की नियमित सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के पत्र दिनांक 03.01.2012 के अनुसार पूर्व पद पर मिल रहे वेतन संरक्षण का लाभ देय होगा।
8. उक्त पदों हेतु चयन प्रक्रिया में हुई चूक अथवा त्रुटि के ज्ञात होने की स्थिति में, किसी भी स्तर पर, यहाँ तक कि संशोधित, वापस लेने अथवा निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा।
9. उक्त पद पर भर्ती के लिए छँटनी (short listing) हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारण किये जाने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
10. विश्वविद्यालय में भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर राज्य सरकार के नियमानुसार पेंशन योजना लागु होगी।
11. भर्ती/नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान आरक्षण संबंधी नियमों (विशेष पिछड़ा वर्ग सहित) में राज्य सरकार द्वारा संशोधन/परिवर्तन किये जाने पर तत्संबंधी नियम लागू होंगे।

(डॉ0 ऐ0 के0 नगावत)

18/01/2023
(डॉ0 आर0 एन0 जाट)

Jagdish Prasad
(डॉ0 जगदीश प्रसाद) 18/01/2023

(डॉ0 जसवंत सिंह खीचड़) 18/1/23

18/01/23
(श्री राजवीर सिंह चौधरी)
कुलसचिव

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

कमांक प. 14(5) शिक्षा–4/2012 पार्ट जयपुर, दिनांकः 06.12.2022

कुलसचिव,
प.दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,
सीकर।

विषयः विश्वविद्यालय में नवीन पद सृजन एवं भर्ती हेतु स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।
संदर्भः–आपका पत्र क्रमांकः 14645 दिनांक 07.11.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र में प्रेषित प्रस्ताव अनुसार वित्त विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में निम्नानुसार 25 शैक्षणिक एवं 48 अशैक्षणिक कुल 73 पदों को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 20.09.2021 के बिन्दु संख्या 02 के संदर्भ में भरे जाने की सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की की जाती है कि विश्वविद्यालय रिक्त पदों पर भर्ती आरक्षण के संबंध में जारी कार्मिक विभाग के परिपत्रों एवं विश्वविद्यालय के सेवा नियमों में निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुये की जा सकेगी तथा इन पदों का व्यय भार विश्वविद्यालय के स्वयं के संसाधनों से वहन किया जावेगा एवं रिक्त पदों का सत्यापन विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी से करवाया जावेः–

क्र. स.	पद	वेतनमान	स्वीकृत	रिक्त पद	वित्त विभाग द्वारा भरे जाने हेतु सहमत रिक्त पद	विशेष विवरण
	(अ) शैक्षणिक पद					
1	आचार्य	AL-14(37400-67000) Grade pay 10000	05	05	00	
2	सह आचार्य	AL-13A(37400-67000) Grade pay 9000	10	10	10	सीधी भर्ती
3	सहायक आचार्य	AL-10(15600-39100) Grade pay 6000	15	15	15	सीधी भर्ती
		योग (अ) शैक्षणिक पद	30	30	25	
	(ब)अशैक्षणिक पद					
1	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	AL-10(15600-39100) Grade pay 6000	01	01	01	सीधी भर्ती
2	सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक	AL-10(15600-39100) Grade pay 6000	01	01	01	सीधी भर्ती
3	परीक्षा नियंत्रक	L-17(15600-39100) Grade pay 6800	01	01	01	सीधी भर्ती
4	उप कुलसचिव	L-16(15600-39100) Grade pay 6600	01	01	01	सीधी भर्ती
5	सहायक कुलसचिव	L-14(15600-39100) Grade pay 5400	02	02	02	सीधी भर्ती
6	निजी सचिव	L-14(15600-39100) Grade pay 5400	01	01	01	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा
7	अनुभागाधिकारी	L-12(15600-39100) Grade pay 4800	02	02	02	
8	निजी सहायक	L-11(9300-34800) Grade pay 4200	01	01	01	
9	विधि सहायक (कनिष्ठ विधि अधिकारी)	L-10(9300-34800) Grade pay 3600	01	01	01	प्रतिनियुक्ति विधि विभाग
10	वरिष्ठ लिपिक	L-8(5200-20200) Grade pay 2800	04	04	04	कनिष्ठ लिपिक पर सीधी भर्ती
11	कनिष्ठ लिपिक	L-5(5200-20200) Grade pay 2400	10	10	10	सीधी भर्ती

12	वाहन चालक नियमित	L-5(5200-20200) Grade pay 2400	02	02	02	रेक्सको/होमगार्ड के माध्यम से
13	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	L-1(5200-20200) Grade pay 1700	15	15	15	वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 अनुसार/सेवानिवृत्ति कार्मिक/होमगार्ड के माध्यम से
14	स्टेनोग्राफर	L-10(9300-34800) Grade pay 3600	03	03	03	सीधी भर्ती
15	सूचना सहायक	L-8(5200-20200) Grade pay 2800	04	01	01	DoIT से प्रतिनियुक्ति के द्वारा
16	एनालिस्ट एवं प्रोग्रामर	L-16(15600-39100) Grade pay 6600	01	01	01	DoIT से प्रतिनियुक्ति के द्वारा
17	संपदा अधिकारी	L-14(15600-39100) Grade pay 5400	01	01	01	प्रतिनियुक्ति द्वारा सहायक अभियंता (सिविल)/समकक्ष
		योग (ब) शैक्षणिक पद		48	48	
		कुल योगः–		78	73	

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी.संख्या 102206549 दिनांक 02.12.2022 के अनुसरण में जारी की जाती है एवं वित्त विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(डॉ. फिरोज अख्तर),
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार, राजस्थान लेखा एवं हक विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, वित्त (आय–व्ययक) विभाग।
3. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग को उनकी आई.डी.संख्या 102206549 दिनांक 02.12.2022 के क्रम में ।
6. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक प. 14(5) शिक्षा–4 / 2012 पार्ट जयपुर, दिनांकः 10.01.2023

कुलसचिव,
प.दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,
सीकर।

स्थापना: नव-सृजित पदों हेतु रोस्टर एवं भर्ती विज्ञापन तैयार करें की प्रक्रिया शुरू करने की कार्यवाही करावें। 10.01.23

विषयः विश्वविद्यालय में कनिष्ठ लिपिक के 50 नवीन पद सृजन के औचित्य के संबंध में।

संदर्भः–आपका पत्र क्रमांकः 15229 दिनांक 15.12.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र में प्रेषित प्रस्ताव अनुसार वित्त विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में कनिष्ठ लिपिक के 50 नवीन पद के सृजन के संबंध में विश्वविद्यालय में 15 कनिष्ठ लिपिक / कनिष्ठ सहायक के नवीन पद सृजन एवं विश्वविद्यालय में स्वीकृत 05 आचार्य के रिक्त पदों को भरे जाने पर सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इन पदों पर होने वाला संपूर्ण व्यय विश्वविद्यालय के स्वयं के संसाधनों से वहन किया जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी.संख्या 102206992 दिनांक 06.01.2023 के अनुसरण में जारी की जाती है एवं वित्त विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(डॉ. फिरोज अख्तर),
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार, राजस्थान लेखा एवं हक विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, वित्त (आय–व्ययक) विभाग।
3. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग को उनकी आई.डी.संख्या 102206992 दिनांक 06.01.2023 के क्रम में ।
6. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

परिशिष्ट 2C

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

क्रमांक : प.14()संस्थापन / सीधी भर्ती / 2022 /

दिनांक : 08.02.2023

कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 17099 दिनांक 06.02.2023 के अनुसरण में अशैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए रोस्टर निर्धारण एवं संशोधित विज्ञापन का प्रारूप तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 08.02.2023 दोपहर 12:15 बजे राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अतिथि गृह में आयोजित की गई जिसमें निम्न सदस्यगण उपस्थित रहें :–

क्र.सं.	नाम	पद नाम
01	डॉ0 ऐ0 के0 नगावत	सेवानिवृत आचार्य (भौतिक शास्त्र विभाग), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
02	डॉ0 आर0 एन0 जाट	सेवानिवृत आचार्य (गणित विभाग), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
03	डॉ0 जसवंत सिंह खीचड़	सेवानिवृत उप–कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
04	डॉ0 जगदीश प्रसाद	सेवानिवृत आचार्य (सांख्यिाकी विभाग), राजस्थान वि.वि., जयपुर एवं राज्य सरकार द्वारा मनोनित प्रबंध बोर्ड सदस्य
05	प्रोफेसर शिवप्रसाद	प्रबंध विभाग, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
06	राजवीर सिंह चौधरी (RAS)	कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

सर्वप्रथम राजवीर सिंह चौधरी, कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। समिति द्वारा अशैक्षणिक वर्ग के पदों हेतु रोस्टर एवं आयु सीमा में संशोधन सहित विज्ञापन अनुशंषित किया गया। समिति की बैठक दिनांक 18.01.2023 में तैयार किए गए अशैक्षणिक (लिपिक वर्ग) हेतु भर्ती विज्ञापन / नियमावली के बिन्दु संख्या (4) में अधिकतम आयु राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के आलोक में 40 वर्ष करने का निर्णय लिया गया, शेष विज्ञापन / नियमावली / रोस्टर गत बैठक दिनांक 18.01.2023 के निर्णयानुसार यथावत रहेंगे।

उच्च शिक्षा (ग्रुप–4), राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प. 14(5) शिक्षा–4 / 2012 पार्ट दिनांक 06.12.2022 के द्वारा स्टेनोग्राफर का स्वीकृत एक अतिरिक्त पद (कुल तीन पद) अशैक्षणिक पदों हेतु अनुसंशित रोस्टर दिनांक 27.04.2022 के क्रम में अनारक्षित श्रेणी में रखे जाने की अनुशंषा की जाती है।

अशैक्षणिक वर्ग के पदों के लिए रोस्टर एवं विज्ञापन के संशोधित प्रारूप का प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदन करवाया जावे। अंत में सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

(ऐ0 के0 नगावत) (जगदीश प्रसाद) (आर0 एन0 जाट) 08/02/2023

(जसवंत सिंह खीचड़) 8/2/23 (शिवप्रसाद) 8/2/2023 (राजवीर सिंह चौधरी) 08/02/2023